कमलकिशोर बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः–190 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–08 / 07 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्ंया –190 / 2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 21 / 12 / 2023
निर्णय दिनांक –08 / 07 / 2025

अनवान

1. कमलकिशोर पिता श्री जसराज ककाणी जाति माहेश्वरी निवासी मकान नम्बर 44–45 अयोध्या हाऊस फेसडस कालोनी खोडा गणेस रोड मदनगंज किशनगंज अजमेर जिला अजमेर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. मांगी लाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. खेमाराम पिता होला जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. मदन लाल पिता भैरा जाति कलाल आयु बालिग निवासी घाटी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
4. पुरणमल पिता भंवर लाल जाति जैन निवासी कांकरोली तहसील राजसमन्द राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम घाटी पटवार सर्कल आंजना तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कमलकिशोर बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः—190/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—08/07/2025

खाता संख्या 283 के खसरा न0 435/1 रकवा 0.1200 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.1200 हैक्टयर भूमि होकर स्थित है। प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमी की अव तक प्रार्थी ने पत्थरगढी नही कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 की भुमी से विपक्षीगण स0 1 , 2, 3 व 4 की भूमि पास — पास में होकर स्थित है। प्रार्थी व विपक्षीगण की जमीन पास पास मे होकर मिली हुई है जमीन की सीमा के सम्वन्ध मे विवाद वना रहता है। फसल काटते व वुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता हैं और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थी की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थी को विपक्षीगण का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थरगढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पावन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थी को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त मे दिनांक 27.11.2023 को स्थान ग्राम घाटी पटवार आंजना तहसील देवगढ मे प्रार्थीगण की उक्त जमीन की सीमा सम्बन्धी विवाद करने से ग्राम देवगढ तहसील देवगढ मे पैदा हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम घाटी पटवार आंजना तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 283 के खसरा न0 435/1 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.1200 हैक्टर भुमी की पत्थरगढी जरीये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ के निर्देशन में कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कमलकिशोर बनाम गांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः—190 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—08 / 07 / 2025

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :—

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कमलकिशोर बनाम गांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः–190 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–08 / 07 / 2025

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम घाटी पटवार सर्कल आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 283 के खसरा न0 435 / 1 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.1200 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संवंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द